**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2283**

**06 दिसंबर, 2016 को उत्‍तर के लिए**

**थल सेना में कार्यरत कुलियों को नियमित किया जाना**

**2283. श्री मोती लाल वोराः**

**श्री राजकुमार धूतः**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की ओर गया है, जो भारतीय सेना के साथ काम कर रहे 12 हजार से ज्यादा कुलियों को नियमित किये जाने के संबंध में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार भारतीय सेना के साथ काम कर रहे 12 हजार से ज्यादा कुलियों को नियमित किये जाने की दशा में क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । तथापि, सिविल अपील सं.6248-6249/2010 में अवमानना याचिका संख्या 2-3/2014 को निपटाने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 23 सितंबर, 2015 के आदेश में टिप्पणी की है कि यदि प्राधिकारी उचित समझे तो एक बेहतर योजना बनाई जा सकती है ताकि मौसमी कुली संरक्षित महसूस कर सकें ।

\*\*\*